प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 4408 वर्ष 1994

याचिकाकर्ता : महाप्रबंधक, बंगाल कॉटन मिल्स, (नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन एम.पी. लिमिटेड इंदौर की एक इकाई) राजनांदगांव।

बनाम

उत्तरदाता :1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल
2. मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ– रायपुर, एचआईजी–16, शंकर नगर, रायपुर. जिला–राजनांदगांव (छ.ग.).
3. बुधियारिन बाई, पति निपिलू दास, तुलसीपुर, जिला–राजनांदगांव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता
श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक– 3 के अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(9 जनवरी, 2006)

श्रवण किया गया ।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर यह रिट याचिका औद्योगिक न्यायालय, रायपुर पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 32/एमपीआईआर/92 और अपील संख्या 50/एमपीआईआर/92 दिनांक 6.9.1994 (अनुलग्नक–VI) में पारित सामान्य आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. उत्तरवादी संख्या 3 को अकुशल श्रमिक के रूप में दैनिक मजदूरी पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को मिल से चोरी करने के अपराध के लिए 17.11.1980 को आरोप पत्र दिया गया था और घरेलू जांच की गई थी, जिसमें उत्तरवादी संख्या 3 ने जांच में भाग लिया और चोरी का आरोप सिद्ध पाया गया। परिणामस्वरूप, उत्तरवादी संख्या 3 की सेवा 14.1.1981 के आदेश (अनुलग्नक पी–II) द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

3. व्यथित होकर, उत्तरवादी संख्या 3 ने म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (जिसे आगे "एमपीआईआरए" कहा जाएगा) की धारा 31 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि उसके खिलाफ की गई जांच उचित नहीं थी और चोरी का एकमात्र आरोप, जो जांच में पाया गया है, वह भी खराब था। श्रम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.4.1982 (अनुलग्नक–III) द्वारा दिनांक 14.1.1981 के आदेश के विरुद्ध उसके आवेदन को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय में अपील संख्या 320/एमपीआईआर/82 के रूप में अपील दायर की। औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 7.10.1983 के आदेश (अनुलग्नक–IV) के तहत श्रम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.04.1982 के आदेश को रद्द कर दिया तथा उत्तरवादी संख्या 3 के कदाचार को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता के साथ–साथ उत्तरवादी संख्या 3 को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को वापस भेज दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्रम न्यायालय राजनांदगांव ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने आदेश के तहत कंपनी की संपत्ति की चोरी का कदाचार किया है।दिनांक 28.01.1992 (अनुलग्नक–V) । तथापि,

एम.पी.आई.आर.ए. की धारा 107–ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तरवादी संख्या 3 को बिना बकाया वेतन दिए बहाल करने का निर्देश दिया।

5. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित बहाली के आदेश को चुनौती देते हुए औद्योगिक न्यायालय में अपील संख्या 32/एमपीआईआर/92 दायर की। उत्तरवादी संख्या– 3 ने भी श्रम न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपील संख्या 50/एमपीआईआर/92 दायर की, जिसके तहत श्रम न्यायालय ने माना है कि उसे कंपनी की संपत्ति चोरी करने के कदाचार का दोषी पाया गया था और उसे पिछला वेतन देने से इनकार कर दिया गया था। औद्योगिक न्यायालय ने 6.9.1994 के सामान्य आदेश द्वारा उत्तरवादी संख्या– 3 द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और प्रबंधन (यहां याचिकाकर्ता) द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि श्रम न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले के बयानों और तथ्यों की जाँच नहीं की थी, कि उत्तरवादी संख्या 3 कंपनी की संपत्ति चोरी करने का अपराध करने का दोषी था, तदनुसार औद्योगिक न्यायालय ने पूरे पिछले वेतन के साथ पुनः बहाली का निर्देश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. व्यथित होकर, प्रबंधन/याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.9.1994 के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एन.के.व्यास ने कहा कि श्रम न्यायालय का यह मानना उचित था कि उसके बयान के स्वीकारोक्ति को देखते हुए, उसने कंपनी की संपत्ति की चोरी का अपराध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि श्रम न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि उसने कंपनी की संपत्ति की चोरी का अपराध किया है।सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर यह आदेश दिया गया क्योंकि उत्तरवादी संख्या 3 ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

8. श्री एच.बी. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री पंकज अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित हुए, ने प्रतिवादी आदेश के समर्थन में दलील दी कि श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों का निष्कर्ष गलत था। श्रम न्यायालय ने सुरक्षा गार्डों के इस स्पष्ट कथन पर विचार नहीं किया कि उन्होंने उत्तरवादी संख्या 3 को मिल परिसर से बाहर जाते समय कोई बैग ले जाते हुए नहीं पकड़ा था। उत्तरवादी संख्या 3 का मामला यह था कि उसे मिल परिसर के बाहर बैग मिला था जिसमें कुछ सामान था तथा उसने उक्त बैग में सामान होने की बात स्वीकार की थी तथा उसने अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार नहीं किया था।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है, मेरा मानना है कि श्रम न्यायालय ने सुरक्षा गार्डों के स्पष्ट बयानों पर विचार न करके स्पष्ट गलती की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने उसे परिसर के अंदर से कोई बैग ले जाते हुए नहीं देखा था, उसे परिसर के बाहर बैग के साथ पकड़ा गया था, जिसमें कुछ सामान थे। बैग में सामान पाए जाने के तथ्य को उत्तरवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया है। औद्योगिक न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों और बयानों की सावधानीपूर्वक जांच की है कि चोरी साबित नहीं हुई है। औद्योगिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य उचित साक्ष्य और ठोस कारणों से उचित और समर्थित हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. ऊपर बताए गए कारणों से, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, बकाया वेतन के तथ्यों पर, जब याचिकाकर्ता दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत थी और वह 14.1.1981 से 21.1.1992 तक लगभग 11 वर्षों तक नौकरी से बाहर रही, इसमें शामिल लंबी अवधि

को देखते हुए, और उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा कोई काम नहीं किया गया, तो 100% पूरा बकाया वेतन देना पूरी तरह से अनुचित होगा और नियोक्ता पर बोझ होगा, जब कंपनी बंद हो गई है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्याय के हित में 30% बकाया वेतन पर्याप्त होगा। याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया ।

हस्ता/–
सतीश क. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ms. Yogita Naik, Advocate